संख्या-9/2024/635/94-स्टा०नि०-2-2024-700(33)/2024

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आबकारी विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 28 मई, 2024**

विषय : शराब की दुकानों में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु किरायेनामा विलेखों को पर्याप्त स्टाम्पित व नियमानुसार रजिस्ट्रीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुकानों का किरायनामा स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-35 के अन्तर्गत प्रविष्ठ "पट्टा/लीज" की परिभाषा से आच्छादित है, एवं उक्त अनुच्छेद में प्रावधानित दर से स्टाम्प देयता ऐसे किरायेनामे पर बनती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा-17(1)(d) के अधीन एक वर्ष से अधिक के किरायनामों का पंजीकरण अनिवार्य होता है। उपरोक्त दोनों प्रावधानों के उल्लंघन से सृजित किरायनामों को साक्ष्य के रूप ग्रहण करना (अनुज्ञप्ति निर्गमन एवं नवीनीकरण के समय) अविधिक होता है, एवं स्टाम्प अधिनियम की धारा-33 के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारी, जिसके समक्ष ऐसे विलेख प्रस्तुत हों, का यह दायित्व बनता है कि इन विलेखों पर स्टाम्प देयता का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प देयता सुनिश्चित करने तथा पंजीकरण हेतु किरायेनामा विलेख स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये जा रहें हैं, जिससे उक्त विलेखों में निहित राजस्व की प्राप्ति बाधित हो रही है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया स्टाम्प देयता सुनिश्चित करने तथा पंजीकरण हेतु उक्त किरायानामा विलेखों को स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त आबकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in